फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मनोहरसिंह **विपक्षी : श्री तेजसिंह**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 163/18**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 14.06.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प बोयणा में पेश हुई। अधिक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादी की एकरतफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1, 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि वादी मनोहरसिंह के नाम दर्ज होकर मनोहरसिंह खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 2 वादी की खातेदारी भूमि में जबरन प्रवेश करने, कब्जे में दखलन्दाजी करते हैं इसलिए वादी ने प्रतिवादी सं. 1, 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री सज्जनसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री तेजसिंह पेश किये। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 पेश की। प्रतिवादी सं. 1, 2 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादी सं. 1, 2 को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धर्मेता पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 1256, 1257, 1265 किता 3 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 2 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, न ही पत्थरगढी हटाये, न ही वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल करें, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय सुनाया गया। **(श्रीकान्त व्यास)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.06.20 14:11:19 IST Reason: SelfAttested	

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 163/18 (वाद) GCMS No. : 2018/00342

उनवान

1. श्री मनोहरसिंह पिता डुंगरसिंह राजपूत निवासी बोयणा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री तेजसिंह पिता मानसिंह झाला, राजपूत निवासी बोयणा तह. मावली।
2. श्री मांगीलाल पिता गंगाराम कुमावत निवासी देवाली, फतेहपुरा तह. बडगांव।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा धर्मेता पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 1256, 1257, 1265 किता 3 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 2 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, न ही पत्थरगढी हटाये, न ही वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल करें, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.06.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:11:19 IST
Reason: SelfAttested